न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः नन्दकिशोर राजोरा, आर0ए0एस

अपील संख्याः 86/2013

जीसीएमएस नम्बरः 2013/00132

अपीलाण्ट

1. गुमान सिंह पुत्र श्री सबल सिंह जाति राजपुरोहित सकिन ढारिया, तहसील देसूरी जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स

1. रामलाल पुत्र अन्नराज
2. बाबुलाल
3. शांतिलाल
4. मोतीलाल पुत्र अन्नराज जी तमाम जातिगण महाजन, उम्र बालिग सकिन ढारिया, तहसील देसुरी जिला पाली
5. श्रीमान तहसीलदार साहब, देसुरी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

–:निर्णयः–

दिनांकः– 16/12/22

अपीलाण्ट् की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेण्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2009 बउनवान गुमान सिंह बनाम रामलाल में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया, रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अतः उनके विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। अपीलाण्ट अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर उपस्थित अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। विधि अनुसार जहां हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के तकनीकि बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम ढारिया की सरहद में खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 766 रकबा 1.39 हैक्टर किस्म बा0 प्रथम लगान 9.73 की स्थित है। जिस पर अपीलाण्ट का बाद खरीद करीब 26 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त बिना किसी दखलन्दाजी के एज ऑफ राईट कब्जा काश्त है लेकिन वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 का कब्जा काश्त नहीं रहा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 04 को यह जानकारी है कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त लगातार 26 वर्षों से अपीलाण्ट का होने से खातेदारी अधिकार अपीलांट में निहित हो चुके है। इस परिप्रेक्ष्य में अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोडेण्टगण अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रस्तुत वाद के समर्थन में अपीलाण्ट ने पी. डब्लू. 1 स्वयं वादी अपीलाण्ट, पी. डब्लू. 2 रूपसिंह, पी. डब्लू. 3 दूदाराम, पी. डब्लू. 4 लच्छा प्रस्तुत करने तथा सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद में वर्णित तथ्य सिद्व करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के साक्ष्य पर गोर किए बिना एवं एडवर्स पजेशन के नियमो के विपरीत निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त कृषि भूमि बाद खरीद विधि अनुसार काबिज होने के पश्चात रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कराने के लिए इसका

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

खामियाजा अपीलाण्ट नहीं भुगत सकता तथा बतौर मालिक अपीलाण्ट उक्त कृषि भूमि पर बिना दखलन्दाजी पिछले 28 वर्षों से काबिज रहते हुए कृषि कार्य करता आ रहा है। अपीलाण्ट द्वारा अपने साक्ष्यों पी. डब्लू. 1 से पी. डब्लू.4 तक ने अपने शपथ पत्रों में दावे में वर्णित तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया तथा रेस्पोडेण्ट्स की तरफ से किसी प्रकार का काउन्टर ऐफिडेवीट प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय के जरिये अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त कराते हुए माफिक अनुतोष अपील डिक्री करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा ग्राम ढारिया की सरहद में खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 766 रकबा 1.39 हैक्टेयर की भूमि पर अपना कब्जा काश्त व रेस्पोडेण्ट से भूमि क्रय करना बताते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अनुतोष चाहा। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा जिन तथ्यों को रेखांकित किया गया है, उनमें मुख्य बिन्दु वादग्रस्त आराजी को 26 वर्ष पूर्व अपीलाण्ट द्वारा क्रय करना एवं तभी से वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलाण्ट को खातेदार घोषित करवाना है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा रेखांकित किए गए उन बिन्दुओं के परीक्षण हेतु अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। उभय पत्रावलीयों पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह तथ्य प्रकट आया कि अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय में मौखिक साक्ष्य पी0डब्ल्यु0 1 से पी0डब्ल्यु0 4 पेश कर वादग्रस्त आराजी पर 26 वर्षो कब्जा होने एवं लिखित ईकरारनामे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया है।

अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजी पर विधिक अधिकार प्रोद्भूत होते है। पत्रावली पर उपलब्ध ईकरारनामा आपसी लेन देन से सम्बधित है, जिसमें कृषि भूमि का कोई उल्लेख नहीं है, और यदि उल्लेख हो तो भी अपंजीकृत ईकरारनामें के आधार पर अनुतोष राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार से बाहर है। अपीलाण्ट का मुख्य आधार वादग्रस्त आराजी पर 26 वर्षो से प्रतिकूल कब्जा होना है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या प्रतिकूल कब्जे को आधार मानकर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विभिन्न न्यायालयो द्वारा प्रतिपादित सिंद्धान्तों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा दोषपूर्ण है एवं इसके आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा दिया जाना दोषपूर्ण है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की पूर्ण पीठ द्वारा प्रकरण संख्या/अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा/ (अशोक राव बनाम अमृतलाल), अपील/टीए/गंगानगर/5160/2004 (रामी बनाम विद्यादेवी), अपील/टीए/गंगानगर/5161/2004 (रामी बनाम रामप्रताप) एवं अपील/टीए/कोटा/2780/2009 (रतना बनाम रामनाथ) में दिनांक 30.08.2018 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है, जिसमें प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को दोषपूर्ण मानते हुए विधि में संशोधन हेतु यथोचित कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0 एल0 सी 2009 (1) पेज 69 में प्रतिकूल कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्धारित किया कि "प्रतिकूल कब्जे के विधि का दोष–प्रतिकूल कब्जे का न अभिवचन और न उसकी साक्ष्य– ऐसी परिस्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री त्रुटिपूर्ण प्रतिकूल कब्जे की विधि बेईमानी का पुरस्कार है" जिससे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद कानूनन पोषणीय नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो एवं कानूनी प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तथा सहायक कलेक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2009 बउनवान गुमान सिंह बनाम रामलाल में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2011 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली